



राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र,
अम्बिकापुर (छ.ग.)
इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर



क्रमांक./अ.भा.स.क्ष.फ.अनु.परि./...28.12/2017

अम्बिकापुर, दिनांक 25/10/2017
२४

आदेश

चयन समिति की अनुशंसा एवं संचालक अनुसंधान सेवायें के अनुमोदन उपरान्त निम्नलिखित अभ्यर्थी को तकनीकी सहायक के पद पर संविदा के माध्यम से निश्चित वेतन (रु. 20342/- प्रतिमाह) पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष अथवा परियोजना अवधि अथवा पद पर नियमित नियुक्ति (चयन/पदोन्नति द्वारा पदस्थापना) जो भी पहले हो तक उनके नाम के सम्मुख दर्शित (कालम नं. 04) पदस्थापना स्थल पर, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	श्रेणी	पदस्थापना स्थल
(01)	(02)	(03)	(04)
01	ईशू कुमार खूंटे पिता स्व. श्री. फिरत राम खूंटे पता-ग्राम कटकोनी, पोस्ट-कुदूरी, तहसील सारंगगढ़ छत्तीसगढ़	अ.जा.	अखिल भारतीय समन्वित क्षमतावान फसल अनुसंधान परियोजना, राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, अजिरमा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

संविदा नियुक्ति की शर्तें :-

1. अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर कर्तव्य पर मय प्रमाण-पत्रों (शैक्षणिक योग्यता, जाति एवं मूल निवास प्रमाण-पत्र) के साथ उपस्थित होना होगा अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में संलग्न किये गये कोई भी प्रमाण-पत्र/दस्तावेज तथा दी गई जानकारी भविष्य में यदि असत्य पायी जाती है, तो नियुक्ति बिना कारण बताये निरस्त कर दी जावेगी।
3. उभयपक्षों द्वारा किसी भी समय एक माह की सूचना देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। सूचना न देने की स्थिति एक माह का वेतन-भत्ता भुगतान/जमा करना होगा।
4. अभ्यर्थी को कर्तव्य पर उपस्थिति के समय इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के चिकित्सा अधिकारी अथवा जिला सिविल सर्जन से शारीरिक क्षमता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक क्षमता प्रमाण-पत्र में शारीरिक रूप से अयोग्य पाये जाने पर संबंधित की सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
5. आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी से जाति के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र भराया जावेगा। संबंधित अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र गलत अथवा कपटपूर्वक अभिप्राप्त करने की बात प्रमाणित होने पर नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जावेगी एवं संबंधित को प्रदत्त लाभ व सुविधाओं पर व्यय की गई राशि वसूल की जावेगी तथा अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रवृत्त कानूनों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
6. संबंधित का पुलिस अधीक्षक कार्यालय से चरित्र सत्यापन कराया जावेगा। चरित्र सत्यापन में पुलिस प्रशासन द्वारा संबंधित के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टीप पाये जाने पर नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा।
7. अभ्यर्थी को भारतीय संविधान के प्रति निश्ठावान रहने की शपथ लेनी होगी।
8. अभ्यर्थी को कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
9. संविदा नियुक्ति प्रथमतः 01 वर्ष अथवा परियोजना अवधि अथवा पद पर नियमित नियुक्ति (चयन/पदोन्नति द्वारा पदस्थापना) जो भी कम हो के लिए की जावेगी। पद नियमित रूप से न

